प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.06.2026

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा 'ऑपरेशन प्रहार' के अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली एक अभियुक्ता व एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4.200 किलोग्राम अवैध गांजा व 1300/- रुपये बरामद।

घटना का विवरण: आज दिनांक 19.06.2026 को पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना व लोकल इनपुट के आधार पर अवैध गांजे की तस्करी करने वाली अभियुक्ता दीपा और अभियुक्त अजय कुमार को धारा स्कूल के पास बनी झोपड़ी (विजयनगर) से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 4 किलो 200 ग्राम (4.200 किलोग्राम) अवैध गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया, "साहब, हम गांजा खरीदकर उसे छोटी-छोटी पुड़ियों में पैक करके लोगों को देते हैं और वे लोग इन पुड़ियों को रेलवे स्टेशन व आर्मी ग्राउंड के पास चलते-फिरते राहगीरों को बेचते हैं। आज भी हम अपना माल बेचने के लिए आए थे ।

अभियुक्तों के नाम व पते:

1. **श्रीमती दीपा** पत्नी सन्तोष उर्फ बाबू निवासी: धारा स्कूल के पीछे, माधोपुरा, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद। मूल पता: म.नं. 213-ए, न्यू कोटगांव, थाना कोतवाली, जिला गाजियाबाद (उम्र 31 वर्ष)।
2. **अजय कुमार** पुत्र सतीश। निवासी: कस्बा बुढाना, बड़ी मस्जिद के पास, बालू के मकान में किराये पर, जिला शामली। वर्तमान पता: दीपा का मकान, माधोपुरा, थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद (उम्र 36 वर्ष)।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:

1. **अभियुक्ता दीपा पर:** 10 अभियोग एनडीपीएस (NDPS) एक्ट से संबंधित, 03 अभियोग आबकारी अधिनियम से संबंधित, तथा 06 अभियोग मारपीट से संबंधित (कुल 19 अभियोग) कमिश्नरेट गाजियाबाद में पंजीकृत हैं।
2. **अभियुक्त अजय कुमार पर:** 02 अभियोग एनडीपीएस (NDPS) एक्ट से संबंधित थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद में पंजीकृत हैं।

बरामदगी का विवरण:

1. 4.200 किलोग्राम अवैध (नाजायज) गांजा।
2. 1300/- रुपये नकद।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

स्वाट/सर्विलांस टीम नगर जोन व थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा तनिष्क शोरूम में चोरी की घटना कारित करने वाले व 25,000-25,000 रुपये के ईनामी एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 968.50 ग्राम पीली धातु ,एक फ्लेम सिलेंडर, एक कुठली, एक छोटी सँड़सी तथा 5,000/- रुपये नकद बरामद।

घटना का विवरण: दिनांक 12.06.2026 को वादी रोहित अरोड़ा पुत्र लक्ष्मण अरोड़ा (निवासी के-99, तृतीय मंजिल, एन.एन.बी. कालकाजी, नई दिल्ली) ने वादी के तनिष्क शोरूम पर कार्य करने वाले नितिन वर्मा पुत्र संजय वर्मा (निवासी म.नं.-492, बुलाका पाड़ा, मोदीनगर, गाजियाबाद) व एक अन्य अज्ञात साथी द्वारा शोरूम का ताला खोलकर आभूषण चोरी कर लेने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी थी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण: घटना के अनावरण हेतु 5 टीमें गठित की गई थीं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाले 3 अभियुक्तगण को दिनांक 16.06.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा 2 अभियुक्त वांछित चल रहे थे, जिन पर पुलिस उपायुक्त, नगर महोदय द्वारा 25,000-25,000 रुपये की ईनाम राशि घोषित की गई थी।आज दिनांक 19.06.2026 को दोनों ईनामी अभियुक्तों को नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन वाली रोड पर बने रैन बसेरा के पास, चौकी क्षेत्र सेक्टर-3, राजनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त चितरंजन उर्फ चिंटू ने बताया कि, "मेरे और सोनिया के पास से जो यह सोने के गहने मिले हैं, इन्हें मैंने अपने दोस्त नितिन के साथ मिलकर तनिष्क शोरूम (आरडीसी) से दिनांक 12.06.2026 की सुबह चोरी किया था। नितिन तनिष्क स्टोर में सेल्समैन का कार्य करता था। मेरी उससे काफी पुरानी दोस्ती थी। उसने शोरूम से ज्वेलरी चोरी करने के बारे में मुझे बताया तो मुझे भी लालच आ गया। फिर हमने मिलकर तनिष्क शोरूम से ज्वेलरी चोरी की योजना बनाई थी।"

"योजना के अनुसार, नितिन ने दिनांक 11.06.2026 की शाम को स्टोर पर कार्य करने वाले समस्त स्टाफ को अपनी शादी तय होने की बात बताकर दावत दी थी। इसी दौरान उसने स्टोर की चाबी रखने वाले स्टाफ से तनिष्क स्टोर के मेन गेट की चाबियां चुरा ली थीं। पहले हमारी योजना रात को ही चोरी करने की थी, लेकिन नितिन को ज्यादा नशा हो गया था। अगले दिन दिनांक 12.06.2026 की सुबह करीब 07:15 बजे मैं व नितिन, काजल को साथ लेकर तनिष्क स्टोर पर पहुंचे थे। काजल को हमने कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया तथा मैंने स्टोर का ताला खोला और निगरानी के लिए बाहर खड़ा हो गया।"

"नितिन ने अंदर घुसकर ज्वेलरी चोरी की थी। चोरी करने के बाद हम तीनों चोरी की ज्वेलरी के साथ मौके से भाग गए थे, जिसके बाद हम पांचों मोदीनगर में मिले थे। नितिन ने अपने पिता के साथ मिलकर कुछ ज्वेलरी बेच दी थी तथा कुछ ज्वेलरी मैंने व नितिन ने पिघलाकर आपस में बांट ली थी। यह जो मुझसे व सोनिया से ज्वेलरी व पिघला हुआ सोना मिला है, यह उसी चोरी का है जो हमारे हिस्से में आया था। सोना जिससे पिघलाया था, वह सामान भी नितिन ने मुझे ही रखने के लिए दे दिया था।"
सोनिया ने भी चितरंजन उर्फ चिंटू की बातों का समर्थन किया और कहा कि, आज हम लोग ट्रेन पकड़कर बाहर जाने वाले थे।।

अभियुक्तों का नाम व पता:

1. **चितरंजन कुमार वरुण उर्फ चिंटू** पुत्र दिनेश कुमार वरुण। हाल निवासी: उज्जवल त्यागी का मकान, गली नं. 02, सत्य नगर, कस्बा रोड, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद। मूल पता: गांव अहारा काशी मोहद्दीनपुर, थाना परतापुर, मेरठ (उम्र करीब 25 वर्ष)।
2. **सोनिया** पुत्री अतर सिंह। निवासी: म.नं. 672, गली नं. 03, सिब्बनपुरा, थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद (उम्र 31 वर्ष)।

बरामदगी:

1. लगभग 968.50 ग्राम पीली धातु (पिघले हुए आभूषण व ठोस टुकड़े)
2. एक फ्लेम सिलेंडर
3. एक कुठली (सोना पिघलाने का पात्र)
4. एक छोटी सँड़सी
5. 5,000/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली टीमें:

1. स्वाट/सर्विलांस टीम नगर जोन कमिश्नरेट, गाजियाबाद
2. थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट, गाजियाबाद

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल एवं चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.06.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा ग्रीन बेल्ट सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास वसुंधरा की ओर जाने वाली सड़क पर चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. वसीम खान पुत्र नैमू खान निवासी सादौपुर की झाल, मेन रोड थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 22 वर्ष 2. जीशान पुत्र महताब निवासी ग्राम सादौपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष को चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ मे बताया कि हम दोनों ने यह मोबाइल फोन, एक मोटर साइकिल कुछ दिन पहले एन.एच. 24 इन्दिरापुरम क्षेत्र से चोरी कर लिया था । मोटर साइकिल को एक राह चलते व्यक्ति को सस्ते दाम में बेच दी थी और मिले पैसे आपस में बांटकर खर्च कर लिये । जो मोटर साइकिल बरामद हुई है, हमने शाहीन बाग दिल्ली से चोरी की थी। हम दोनो मिलकर मोटर साइकिलें व मोबाइल फोन चोरी करते हैं जिसको बेचकर हम अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करते है । आज हम यह मोबाइल बेचने और कोई वाहन चोरी करने के लिये दिल्ली जा रहे थे कि आपने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. वसीम खान पुत्र नैमू खान निवासी सादौपुर की झाल, मेन रोड थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 22 वर्ष
2. जीशान पुत्र महताब निवासी ग्राम सादौपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- एक मोबाइल फोन SAMSUNG कम्पनी सम्बन्धित मु0अ0स0 408/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना इन्दिरापुरम कमि0 गाजियाबाद

- एक मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट चोरी की सम्वन्धित ईएफआईआर मु0अ0स0 002276/2026 थाना ई पुलिस स्टेशन एमवीथैप्ट पुलिस स्टेशन क्राईम ब्रांच, दिल्ली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर व थाना इन्दिरापुरम पर चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।